राजस्थान–सरकार
Government of Rajasthan
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, अजमेर
OFFICE OF THE MINING ENGINEER, DEPT. OF MINES AND GEOLOGY, Ajmer
खनिज–भवन/Khanij Bhawan, आर.पी.एस.सी. के पास घूघरा घाटी/Near RPSC Ghughra Ghati,जयपुर रोड़, अजमेर
दूरभाष/Phone: 0145-2424695 फैक्स Fax No. (0145-2628665) email: ME.AJMER@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक–खअ/अज/मानचित्र/डी.एस.आर./2022/ 353 दिनांकः– 19/7/22

संभावित लागत (कोटेशन) विज्ञप्ति

निदेशालय के पत्र क्रमांक निदे/अनिखा/पर्या/डीएसआर/2019/799–807 दिनांक 24.06. 2022 से जिला अजमेर की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) तैयार कराई जानी है, जिस हेतु कन्सलटेन्ट को कार्य दिया जाना है। इस हेतु सम्बन्धित NABET/NABL से मान्यता प्राप्त पर्यावरण कन्सलटेन्ट से फर्म के लैटर पर दिनांक 25.07.2022 को सायं 2:00 बजे तक कोटेशन आमन्त्रित किये जाते है। प्राप्त कोटेशनों को दिनांक 25.07.2022 को सांयकाल 5:00 बजे गठित कमेटी द्वारा खोली जाकर दरे अनुमोदित की जावेगी। कोटेशन की शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 & Monitering Guidelines for Sand Mining, 2020 के अनुरूप होगी तथा क्षेत्राधिकार में पाये जाने वाले प्रत्येक खनिज (क्वार्टज, फैल्सपार, मार्बल, ग्रेनाईट, मेसेनरी स्टोन, बजरी इत्यादि) की पृथक पृथक डी.एस.आर. बनाये जाना प्रस्तावित/अपेक्षित है।
2. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट एवं खनिज बजरी हेतु पुर्नभरण रिपोर्ट (Replenishment Study) तैयार की जावेगी।
3. स्वीकृत दर पर फर्म को भुगतान निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग उदयपुर से बजट प्राप्त होने पर किया जावेगा।
4. चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट को डी.एस.आर. का भुगतान ऑनलाईन किया जावेगा। भुगतान हेतु फर्म/कन्सलटेन्ट को बैंक का पूर्ण एवं सही ब्योरा देना होगा।
5. चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट द्वारा 2 माह की अवधि में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार करा जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है तथा जिला कलक्टर से सत्यापन करा SEAC/SEIAA राजस्थान को अनुमोदन हेतु भिजवाया जाना प्रस्तावित है तथा अनुमोदित डी.एस.आर. कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट की कोई भी शर्त उपरोक्त के अलावा मान्य नहीं होगी।
7. डी.एस.आर. के अनुमोदन तक जो भी कमियां/सुझाव प्राप्त होंगे उन्हे दुरस्त करना भी आवश्यक होगा।

भवदीय,

(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियन्ता, अजमेर।
खनि अभियन्ता
खान एवं भू. विज्ञान विभाग
अजमेर

Scanned with CamScanner